केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

दिनांक 24 दिसंबर, 2021 अपराह्न 4.30 बजे

(जी-मीट के माध्यम से)

<u>बैठक की कार्यसूची</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 03 सितंबर, 2021, को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा किए गए पत्राचार की समीक्षा।

4. केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा।

5. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान केविप्रा मुख्यालय के संबंध में दिए गए सुझाव पर चर्चा।

6. हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में चर्चा।

7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 03 सितंबर, 2021 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

श्री गोरिट्याला वीर महेंदर, सदस्य (ई एंड सी) की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितंबर, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे जी-मीट के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध करते हुए भिजवा दिया गया था। किसी प्रभाग/अनुभाग से कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है, अत: अध्यक्ष महोदय से कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया जाता है।

मद सं. 2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

पिछली बैठक में मुख्यत: निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

i. केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना।
ii. केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना, ताकि 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
iii. केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी कार्रवाई पर चर्चा।
iv. वर्ष 2021 के सितंबर माह के दौरान हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले हिंदी पखवाड़ा समारोह की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी।
v. वार्षिक हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिक संख्या में प्रतिभागिता।

उपर्युक्त सभी मदों पर बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवृत्त में शामिल करते हुए समिति के सभी सदस्यों से अनुवर्ती कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। राजभाषा अनुभाग द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना- केवल कुछ प्रभागों/अनुभागों को छोड़कर तिमाही रिपोर्टें समय से प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसके कारण इन्हें समेकित कर मंत्रालय/राजभाषा विभाग भिजवाने में विलंब होता है। केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों से 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही रिपोर्टें राजभाषा अनुभाग को प्राप्त होने की तिथियों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। समिति के सभी सदस्यों से आगामी रिपोर्टें समय से भिजवाने का पुनः अनुरोध किया जाता है।

हिंदी पखवाड़ा 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशाला तथा केविप्रा के अधिकारियों द्वारा काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया।

वार्षिक हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं में कुल 10 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

मद सं. 3: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा किए गए पत्राचार की समीक्षा।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में भी बैठक के अध्यक्ष महोदय द्वारा मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मियों को प्रेरित करने के लिए समिति के सभी सदस्यों का आह्वान किया गया था। विगत तिमाही (जून, 2021) के दौरान 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के साथ किए गए मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमश: **94.66, 93.93 एवं 94.23** था, जो सितंबर, 2021 के दौरान क्रमश: **96.1, 95.1 एवं 95.7** है, जिसमें विगत तिमाही से सभी क्षेत्रों में पत्राचार में वृद्धि दर्ज की गई है। सभी प्रभागों/अनुभागों से प्राप्त आंकड़ों पर चर्चा की जा सकती है।

मद सं. 4: केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा।

उत्तरी क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली, से अध्यक्ष, केविप्रा को संबोधित पत्र द्वारा केविप्रा की वेबसाइट के हिन्दी वर्जन में कुछ अंग्रेजी दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई थी तथा इनके हिंदी रूपांतर अपलोड कर वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। पत्र के अनुसरण में केविप्रा के राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक 23.07.2021 को परिपत्र जारी कर केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों को ई-मेल द्वारा सूचित किया गया तथा संबंधित बिंदुओं पर यथायोग्य कार्रवाई कर दिनांक 5 अगस्त, 2021 तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया गया था। साथ ही राजभाषा अनुभाग द्वारा अनेक दस्तावेजों का हिंदी रूपांतर कर सचिव, केविप्रा एवं निदेशक प्रशासन सहित संबंधित अनुभागों/प्रभागों को ई-मेल द्वारा भिजवाया गया तथा वेबसाइट के हिन्दी वर्जन से अंग्रेजी दस्तावेज हटाकर हिंदी दस्तावेज अपलोड करने का आग्रह किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान राजभाषा प्रभारी ने संबंधित प्रभागों को हिंदी वेबसाइट के हिंदी वर्जन पर अपलोड अंग्रेजी भाषा के विनियम के मसौदे हटाने का अनुरोध किया, तथा बैठक में उपस्थित निदेशक, प्रशासन को अवगत कराया कि आरटीआई लिंक के सभी दस्तावेज हिंदी रूपांतर कर ई-मेल द्वारा भिजवा दिए गए हैं। निदेशक, प्रशासन ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। किंतु अभी तक किसी भी प्रभाग/अनुभाग से इस संबंध में न तो अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है, न ही केविप्रा की हिंदी वेबसाइट पर अंग्रेजी दस्तावेजों के स्थान पर उपलब्ध कराए गए हिंदी दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।

मद सं. 5: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान केविप्रा मुख्यालय के संबंध में दिए गए सुझाव पर चर्चा।

दिनांक 22 नवंबर, 2021 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण किया गया, जिसमें उस कार्यालय की अन्य बातों के साथ-साथ केविप्रा मुख्यालय द्वारा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में सुझाव दिया गया कि न्यूनतम 25 प्रतिशत निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तदनुसार राजभाषा अनुभाग द्वारा इस वर्ष (2021-22 के लिए) मुंबई स्थित तीन कार्यालयों एवं चेन्नै स्थित एक कार्यालय के राजभाषायी निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

मद सं. 6: हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में चर्चा।

अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से बैठक के तत्काल उपरांत **'स्वतंत्र भारत में हिन्दी में कामकाज की अनिवार्यता'** विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। व्याख्यान देने हेतु प्रो. पूरन चंद टंडन, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली व निदेशक (अवैतनिक), भारतीय अनुवाद परिषद, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया है।

मद सं. 7: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।